

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-09/2014

/कृ०, पटना, दिनांक, 2014.

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री धीरज पटेल,
मेसर्स सागा पेस्टीसाइड्स प्रा० लि०,
द्वारा नारायण इन्टरप्राइजेज, चतुर्थ तल,
कमरा नं०-401 A शशि कम्पलेक्स, एकजीविशन रोड, पटना-1

1557
दिनांक 10.11.14

विषय :-

कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 60 एवं 62 दिनांक 19.10.2012 के नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन कोषागार चालान एवं अन्य कागजातों तथा सहायक कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण) सर्वेलेन्स मुख्यालय, पटना द्वारा समर्पित स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 आदेश 1986 के अन्तर्गत स्वनिर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों के बिक्री/भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति संख्या-60 एवं 62 दिनांक 19.10.2012 को दिनांक 31.12.2015 तक के लिए नवीकरण किया जाता है।

क्र०सं०	कीटनाशी का नाम
1	Malathion 5% DP
2	Cypermethrin 0.25% DP
3	Chlorpyrifos 1.5% DP
4	Butachlor 5% GR

2-उपर्युक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के निहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:-मेसर्स सागा पेस्टीसाइड्स प्रा० लि०, H/O श्री लाल किशोर सिंह, S/O श्री सहदेव प्रसाद सिंह (सहदेव भवन), पोस्ट-बड़ी पहाड़ी, थाना-अगमकुआँ, वार्ड नं०-56, पटना-7

3-Fenvalerate 0.4%DP बैच नं० 05 विनिर्माण तिथि नवम्बर 2013, अवसान तिथि अक्टूबर 2015 अमानक पाये जाने पर विभागीय पत्रांक-2525 दिनांक 03.06.2014 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति दी गई है जिसके कारण कीटनाशी नवीकरण आदेश में इस कीटनाशी को शामिल नहीं किया जा रहा है।

4-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

5-अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण /विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

6-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

7-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

8-नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करनी होगी।

9-भारत सरकार से प्रतिबंधित कीटनाशियों का बिक्री भंडारण सर्वथा वर्जित है।

10-कीटनाशी अनुज्ञप्ति संख्या-60 एवं 62 दिनांक 19.10.2012 मूल रूप में संलग्न हैं। कृपया पावती की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/—

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।


ज्ञापांक

4757

/कृ0, पटना, दिनांक 05-11-2014, 2014

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहायक कृषि निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना /जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



कृषि निदेशक, बिहार, पटना।